DIO, NIC 23.12.16

मा0 सर्वोच्च न्यायालय प्रकरण।

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मेरठ।

आदेश संख्या/अर्थ/ 564-579 व 584-586 /2015–16 दिनांकः– 15/7/16 /18-7-16

नियुक्ति आदेश

उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद के नियन्त्रणाधीन परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों के चयन/नियुक्ति के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–4347–4375/2014 उ0प्र0 सरकार व अन्य बनाम शिवकुमार पाठक व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 07.12.2015 को 1100 याचियों के तदर्थ/औपबन्धिक नियुक्ति विषयक आदेश पारित किये गये है। जिसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इन याचियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से निम्नवत् उल्लेख किया है:–

"At this juncture, Mr. Rakesh Dwivedi, learned senior counsel, Mr. Neeraj Jain, Mr. Siddharth Dave, Mr. Sanjay Hegde, Mr, Vikas Singh, Mr, Anand Nandan, Mr. Arvind Srivastava, Mr. Ajay Jain, Ms. Rachana Shrivastava, Mr. Avnish Singh, Mr. D.K. Diwari, Mr, Rajiv Dubey, Ms. S. Janani, Mr. Ashok Kumar Sharma and Mr. Manoj Prasad Learned counsel submit that they represent approximately 1100 people and some arrangement should be made for them. On being asked Mr. Vijay Bahadur Singh larned advocate General submitted that the State has no objection to offer them appointment on ad hoc basis subject to result of the special leave petitions. Let that be done within four weeks hence. Needless to say, no right shall accrue in their favour because of this order."

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उपर्युक्त आदेश के अनुपालन में याचीगणों के अधिवक्ताओं द्वारा परिषद के एडवोकेट ऑन रिकार्ड के माध्यम से परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराये गये विवरण के आधार पर याचीगणों को परिषदीय विद्यालयों में चयन समिति द्वारा उनके नाम के सम्मुख अंकित परिषदीय विद्यालयों में प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में नितान्त तदर्थ/औपबन्धिक रूप से नियुक्त किया जाता है। यह नियुक्ति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि अभ्यर्थी द्वारा काउन्सिलिगं के समय प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्रों यथा शैक्षिक/प्रशिक्षण सम्बन्धी उपाधिया, जाति प्रमाण पत्र/अन्य सम्बन्धित प्रमाण पत्र की छायाप्रतियां यदि जांचोपरान्त झूठी, कूटरचित अथवा अन्य किसी कारण से दूषित/फर्जी पायी जाती है, सम्बन्धित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही के साथ–साथ उसकी नियुक्ति, नियुक्ति तिथि से स्वतः निरस्त हो जायेगी, जिसका सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित अभ्यर्थी का होगा। कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्गव्यय देय नहीं होगा।

प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में तैनाती विद्यालय में तदर्थ रूप से नियुक्त प्रशिक्षु शिक्षक को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन0सी0टी0ई0) द्वारा अनुमोदित छः माह का प्रशिक्षण पूर्ण करना होगा, जिसमें प्रथमतः तीन माह का कियात्मक प्रशिक्षण अभ्यर्थी द्वारा अपने तैनाती विद्यालय में ही प्राप्त करना होगा। प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में याची अभ्यर्थियों को रु0 7300/– प्रतिमाह देय होगा तथा छः माह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात अभ्यर्थियों को अध्यापक सेवा तैनाती नियमावली –2008 (यथा संशोधित 2010) के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में मौलिक नियुक्ति प्रदान की जायेगी।

उक्त नियुक्ति आदेश नितान्त औपबन्धिक एवं मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका –4347–4375/2014 उ0प्र0 सरकार व अन्य बनाम शिवकुमार पाठक व अन्य में पारित अन्तिम आदेश के अधीन होगी।

क0सं0	याची अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	श्रेणी	जन्म तिथि	प्रशिक्षण योग्यता का नाम	विद्यालय का नाम जहा प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में नियुक्ति की गयी।	विकास खण्ड का नाम (ग्रामीण क्षेत्र)
1	सुषमा रानी	अजब सिंह	अनुसूचित जाति	22.07.1985	बी0एड0	प्रा0वि0 मिश्रीपुरा	दौराला
2	सोनिका	पुरूषोत्तम सागर	अनुसूचित जाति	02.01.1989	बी0एड0	प्रा0वि0 बमनपुरा	खरखौदा
3	हिमान्शु राणा	सुरेन्द्र सिंह राणा	सामान्य	06.08.1986	बी0एड0	प्रा0वि0 महपा	जानी

4	अतुल कुमार	रामसिंह	अनुसूचित जाति	08.04.1987	बी0एड0	प्रा0वि0 पहाड़पुरराम	हस्तिनापुर
5	सनी मोहन शर्मा	कृष्ण मोहन शर्मा	सामान्य स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी आश्रित	23.12.1984	बी0एड0	प्रा0वि0 जटौली	रजपुरा
6	निखिल कुमार	कालीचरन सिंह	पिछडी जाति	14.01.1983	बी0एड0	प्रा0वि0 महादेव–1	सरधना
7	निक्सन	ब्रजपाल	अनुसूचित जाति	12.10.1987	बी0एड0	प्रा0वि0 जटौली	रजपुरा
8	महेन्द सिंह	पिरथी सिंह	अनुसूचित जाति	02.09.1983	बी0एड0	प्रा0वि0 पहाडपुर राम	हस्तिनापुर
9	अजनेश चौधरी	राजेन्द्र सिंह चौधरी	पिछड़ी	12.12.1981	बी0एड0	प्रा0वि0 महादेव–1	सरधना
10	संजय कुमार वर्मा	मांगेराम वर्मा	सामान्य	28.09.1974	बी0एड0	प्रा0वि0 खेड़ा–02	सरधना
11	सूबे सिंह	अजब सिंह	पिछड़ी जाति	02.01.1978	बी0एड0	प्रा0वि0 खेड़ा–2	सरधना
12	पवन कुमार	विकम सिंह	अनुसूचित जाति	11.05.1978	बी0एड0	प्रा0वि0 मिर्जापुर	परीक्षितगढ़
13	सुशील कुमार	वेदप्रकाश	अनुसूचित जाति	11.01.1978	बी0एड0	प्रा0वि0 अकलपुरा	सरधना
14	प्रदीप कुमार	मनफूल सिंह	अनुसूचित जाति	01.07.1970	बी0एड0	प्रा0वि0 अकलपुरा	सरधना
15	यजुवेन्द्र सिंह चन्देल	शिवराज सिंह चन्देल	पिछडी जाति	05.06.1981	बी0एड0	प्रा0वि0 कपसाड़–1	सरधना
16	निशु कौशिक	बिलोमगंल	सामान्य स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी आश्रित	15.12.1987	बी0एड0	प्रा0वि0 जीतपुर	सरधना

Iqbal

(मौ0 इकबाल)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मेरठ।

पृ0सं0/अर्थ/13775-14086 /2015–16 दिनांकः– तदैव।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, बेसिक शिक्षा उ0प्र0 शासन लखनऊ महोदय को संज्ञानार्थ।
2. शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0 निशात गंज, लखनऊ।
3. सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
4. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, छोटा मवाना, मेरठ।
5. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) प्रथम मण्डल, मेरठ।
6. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित नियुक्त विद्यालय में 07 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करे। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त हो जायेगा तथा वह उसके लिये स्वयं उत्तरदायी होगे।
7. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि वह सम्बन्धित प्रशिक्षु शिक्षक को नियमानुसार कार्यभार ग्रहण कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
8. मुख्य चिकित्सा अधिकारी मेरठ।
9. सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक।
10. वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, मेरठ।
11. गार्ड फाईल।

Iqbal

(मौ0 इकबाल)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मेरठ।